

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बाघमारा

आदेश-फलक

(देखें अभिलेख-हस्तक: 1941 का नियम, 129)

आदेश-पत्रक ता० से तक
 अंचल : बाघमारा
 वाद सं० 206 (V) 13-14 जिला : धनबाद
 वाद का प्रकार : नामांतरण

आदेश का क्रम संख्या/ तिथि

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में टि० ता० सहित

15-6-24

अवेदक / आवेदिका श्री/ श्रीमती पिता/ प्रति
 साकिम पाना
 जिला : के द्वारा निम्नांकित विवरणी की भूमि नामांतरण हेतु आवेदन दाखिल किया गया है :

मीजा	पाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
उत्तराल	299	91	32	0.10

हल्का कर्मचारी/अंचल-निरीक्षक से नामांतरण के संबंध में जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। आम-इस्तेहार निर्गत करें, दिनांक 15.6.24 तक आपत्ति प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक 15.6.24 को उपस्थापित करें।

अंचल-अधिकारी
बाघमारा

15-6-24

अभिलेख उप-स्थापित किया गया। आम-इस्तेहार का तामिला-प्रतिवेदन प्राप्त हुआ निर्धारित तिथि के अन्दर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। अंचल निरीक्षक के माध्यम से हल्का कर्मचारी के द्वारा दाखिल किये गए अभिलेख में संलग्न नामांतरण जाँच-प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। जाँच-प्रतिवेदन का अवलोकन करने पर हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि - नामांतरण हेतु आवेदित भू-खण्ड की जमाबंदी पंजी 11 के प्लॉक नं० 97.2 में विक्रेता/उनके पूर्वज के नाम से कायम है। निर्धारित विक्री-विलेख सं० 23.12 दिनांक 23.3.23 के द्वारा क्रय किया गया है। विक्रेता के द्वारा उनके निजास की भूमि का विक्रय किया गया है।

आवेदित भू-खण्ड पर आवेदक/आवेदिका का शांतिपूर्ण दखलदार है। प्रसंगत भूमि खतियान के अनुसार गैरजाबाद/रयती खाते की भूमि है। यह भी प्रतिवेदित है कि आवेदित भू-खण्ड, भू-दान, भू-हदबन्दी, सैरात, वन सीमा एवं अन्य किसी सार्वजनिक अधिग्रहण से मुक्त है। आवेदित भूखण्ड आदिवासी खाते से मुक्त है। R.O.C.L एंड C.N.T Act के अन्तर्गत है।

अतः केवाला दस्तावेज एवं हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच-प्रतिवेदन एवं अनुसंधान के आलोक में राजस्व प्राप्ति की दृष्टिकोण से आवेदक/आवेदिका श्री/श्रीमती पिता/प्रति
 सा..... पाना जिला : के नाम से प्रसंगत भूमि

मीजा	पाना सं०	खाता सं०	खेसरा सं०	रकबा
उत्तराल	299	91	32	0.10

भूमि का नामांतरण की दी जाती है। तदनुसार पंजी 11 में आवश्यक संशोधन हेतु नामांतरण शुद्धि-पत्र में हस्ताक्षर कर हल्का कर्मचारी को अनुपालनार्थ निर्गत किया गया।

अंचल-अधिकारी
बाघमारा



मेरे द्वारा फोटो खींचा गया

06/03/24

नैतिक/टंकक

मिमान किया

श्री. श्री. श्री.
06/03/2024
तुलना लिपिक

आमिप्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि

06.03.24

प्रधान सहायक

जिला अभिलेखागार

नियम 76 एक्ट 1/1972 द्वारा

सरकार में निहित इस्टेटों के अभिधारियों (रैयतों) का नामान्तरण दाखिल-खातिज दिखानेवाला शुद्धिपत्र


जिला - पनवार अनुपखंड - पनवार तालिका/अंश - बायमाटा रकका V इस्टेट का नाम शादकंड सरकार

क्र.सं.	रैयती संख्या 27 में नामान्तरण केवल संख्या	गांव	धाना और धाना संख्या	नामान्तरण के तत्पश्चात् अनुपखंड संख्या	नामान्तरण हेतु करती वाला प्राधिकार और आदेश की तारीख	नामान्तरण किस कारण से होगा है किसी धुन क्षितिज का दाखिलकारी वा कबला हुआ है ?	नामान्तरण के प्रमाणित सिनिवम का पूरा ब्यौटा	रैयतीदार द्वारा रकका संकी किस तारीख को पूरा की गई ?	अनुपखंड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	रखिस-खातिज वार सं० 706/1319	पनवार	पनवार 239	शारिक नमान 5,00 रु. आने से आने	20, 21, 22 अक्टूबर 2013	रिजल्ट 68 रु. 2312 दिनांक 23-03-12	पुलना बाजारदार का नाम लिफ्टान अमरुत शिवाजी का नाम श्री अमरुत शिवाजी का नाम श्री अमरुत शिवाजी का नाम संख्या - 52/100 धाना सं० 239 जाना सं० 11 वार सं० 22 रकका 0.10 अं. (रु. 2 नमान)		

नामान्तरण की तारीख 20.12.13

रैयतीदार का नाम को जमाकारी और आनखंड कारदार के लिए भेजी जाती है।

रैयतीदार/अभिधारिता
 तालिका/अंश
 इस्टेट का नाम



पंरे द्वारा फोटो खिंची
 किया गया
 06/03/24
 अधिकारी/रकका

मिमान किया
 शा. शा. शा.
 06/03/2024
 तुलना सिपिक

अभिप्राणित सखी प्रतिस्तिपि
 शा. शा. शा.
 प्रथम सहायक
 जिला अभिलेखागार
 सं.म 76 एर 1/1872